7 भारत सरकार मुद्रणालय हैं जहां 8 राजपत्रित अधिकारी 5 वर्ष से भी अधिक समय से कार्यरत हैं ।

(ख) सामान्यत: जिन अधिकारियों ने एक ही मुद्रणालय में 4–5 वर्ष पूरे कर लिये हैं, आवर्तनीय स्थानांतरण के लिए विचार किया जाता है ।

(ग) केवल एक अधिकारी/अप्रैल–मई, 1992 में जब आवर्तनीय स्थानांतरण किए जाएंगे, तब उन पर विचार किया जाएगा ।

विकलांग व्यक्तियों को दुकानों का आबंटन

4294. **श्रीमती सरला माहेश्वरी :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकारण ने दुकानों के आबंटन के मामले में विकलांग व्यक्तियों के लिये कोटा निर्धारित किया है और इस प्रयोजन के लिए जनवरी, 1992 में लाटरी भी निकाली गई थी ;

(ख) यदि हां, तो लाटरी में कितने व्यक्तियों को शामिल किया गया था और कितनी दुकानों के लिये लाटरी निकाली गई थी ;

(ग) उक्त लाटरी में असफल रहने वाले व्यक्तियों को आवंटन कब तक कर दिया जायेगा ; और

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा अपनी विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग से विगत एक वर्ष के दौरान कितनी दुकानें आवंटित की गई हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये 5% दुकानें आरक्षित की हैं । इस श्रेणी के लिये 7 जनवरी, 1992 को एक ड्रा निकाला गया था ।

(ख) ड्रा में 70 पात्र व्यक्तियों तथा 36 दुकानों को शामिल किया गया था ।

(ग) 7–1–92 को हुये ड्रा में असफल रहे व्यक्तियों को दुबारा आवेदन करना होगा ।

(घ) उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गत एक वर्ष के दौरान पात्र शारीरिक रूप से विकलांग आवेदकों को तीन आबंटन किये गये ।

Accommodation to M.P.'s in their constituencies

4295. SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN:
SHRI J. S. RAJU:
SHRI MISA R. GANESAN:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government propose to provide accommodation for MP's in their respective States to have a house on rental basis which would help them to look after their constituency needs from the State capital; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) and (b) The facilities of housing etc. to the Members of Parliament are governed by the Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament Rules, 1956) as amended from time to time including Amendment Rules 1986. There is no provision in the said rules for allotment of accommodation to the Members of Parliament in their respective State capitals.

Leave encashment to retiring employees of Government of India Press

4296. SHRI DHULESHWAR MEENA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government of India Press, New Delhi authorities are not paying the leave Encashment